(b) what is the total number of such Srilankan Tamil militants residing in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) As reported by the State Government of Tamil Nadu, there are 1014 militants and suspected militants lodged in Special Camps in the State.

News item captioned 'Glasnost throws new light on Shastri's Delhi

1404. SHRI G. G. SWELL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Glasnost throws new light on Shastri's death" which appeared in the *Indian Express*, dated March 22, 1991; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken note of the fact that the report has been categorically denied by the Soviet Embassy in New Delhi through a press release dated 4th April, 1991.

महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार

1405. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों (घटनाओं) में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिये कुछ नये कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम० जैकब) : (क) और (ख) अपराधों को दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, पता लगाना और रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के उपबंधों को अधिक सख्त और प्रभावकारी बनाने के लिये इसे संशोधित किया गया है। केवल दहेज मृत्यु मामलों से ही नहीं अपितु विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिये, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को अपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 द्वारा संशोधित किया गया है।

महिला और बाल विकास विभाग ने भी महिलाओं और राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन से संबंधित वर्तमान विधायनों की खामियों को दूर करने के लिये उपाय किये हैं।

विवरण

वर्ष 1988 से 1990 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के बारे में देश में दर्ज मामलों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	अपराध शीर्ष	1988	1989	1990
		के दौरान दर्ज मामलें		
1	बलात्कार	8706	9150	9517
2	अभद्र व्यवहार . . .	17836	20497	20186
3	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण और व्यपहरण	9633	11673	11689
4	महिलाओं के साथ छेड़खानी . .	10109	9934	8620
5	दहेज के कारण जल कर आत्महत्या करना .	518	477	633
6	दहेज के कारण अन्य साधनों द्वारा आत्म-हत्या करना	777	787	846
7	दहेज के कारण जलाकर हत्या करना .	418	418	398
8	दहेज के कारण अन्य साधनों द्वारा हत्या करना	498	621	480
9	भा. दं. सं. की धारा 309-ख के अन्तर्गत जलने से मृत्यु। . . .	उ.न.	774	950
10	भा. दं. सं. की धारा 304-ख के अंतर्गत अन्य साधनों से मृत्यु . .	उ.न.	1138	1528

टिप्पणी :—1. "उ. न." का अर्थ उपलब्ध नहीं ।

2. चंकि 1988 के लिए मद संख्या 9 और 10 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए 1988 के आंकडों की तुलना 1989 के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है ।

3. आंकड़े, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थाई माना जाए ।